



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साप्ताहिक प्रकाशित

Regd. No. RJ. 2777/93
RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

पौष 9, सोमवार, शके 1918--दिसम्बर. 30, 1996
Pousa 9, Monday, Saka 1918--December 30, 1996

भाग 4 (घ)
उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

महिला एवं बाल विकास विभाग

घोषणा

जयपुर, सितम्बर 27, 1996

जी. एस्. आर. 103 :- राज्य सरकार द्वारा 8 मार्च, 1996 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष महिला विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई। उपर्युक्त घोषणा के अन्तर्गत में राज्य सरकार निम्नानुसार प्रशासकीय नियम बनाती है:-

1. शीर्षक एवं आरम्भ :

- (1) इन नियमों का नाम महिला शक्ति पुरस्कार नियम, 1996 होगा ।
- (2) ये तुरन्त प्रभावी से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा :

जब तक विषय या सम्बन्ध से अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में-

- (1) सरकार से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ।
- (2) सचिव से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो राजस्थान सरकार के अधीन सचिव का सिविल पद धारण करता हो ।
- (3) पुरस्कार से अभिप्रेत है किसी ऐसे व्यक्ति को नकद पुरस्कार जो राजस्थान राज्य का नागरिक हो एवं जिसने राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया हो। इसमें सम्मिलित है-
 - (a) रुपये 11,000 का नकद पुरस्कार ।
 - (b) एक दुशाला एवं प्रशस्ति पत्र ।

पुरस्कार प्राप्तकर्ता एवं अधिकतम तीन पारिवारिक सदस्यों/परिचारकों हेतु राजकीय नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दिये होंगे ।

3. पालना :

राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार हेतु आवेदन/अनुशंसित किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति कम से कम पाठ दस वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हो।

4. क्षेत्र :

प्रत्येक वर्ष अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात् 8 मार्च को एक व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा।

5. चयन :

(1) एक सामान्य विज्ञापन के माध्यम से राज्य के उन योग्य एवं उपयुक्त व्यक्तियों के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं आवेदन पत्र अन्तर्निहित तथ्यों के सत्यापन के पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा अप्रेषित किए जाएंगे।

(2) (A) विधन 5 के उपनियम (i) के अन्तर्गत की गई अनुशंसाओं का राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा, जिसके सदस्य निम्न प्रकार होंगे :—

(अ) मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
(ब) प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग ✓	सदस्य
(स) सचिव महिला एवं बाल विकास ✓	सदस्य
(द) सचिव परिवार कल्याण ✓	सदस्य
(ध) सचिव समाज कल्याण ✓	सदस्य
(र) सचिव प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा ✓	सदस्य
(ल) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ✓	सदस्य सचिव।

राज्य स्तरीय समिति पुरस्कार के लिए अनुशंसित व्यक्तियों के प्रतिष्ठित स्वविवेक से अन्य व्यक्तियों के नाम पर भी विचार कर सकेगी।

(b) चयन समिति द्वारा महिला विकास/सशक्तिकरण के निम्नलिखित क्षेत्रों में योगदान के आधारे पर कक्षा मूल्यांकन के पश्चात् चयनित व्यक्ति की अनुशंसा की जाएगी:—

- (अ) साक्षरता एवं शिक्षा
- (ब) स्वास्थ्य एवं पोषाहार
- (स) सामाजिक भेदभाव एवं हिंसा से सुरक्षा
- (द) रोजगारोत्पादक कार्य
- (ध) किशोर लड़कियों के जीवन की गुणवत्ता को उन्नत करने हेतु प्रयास
- (र) अज्ञान से महिलाओं के स्तर को उन्नत करना।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्य की गुणवत्ता, उसका महत्व एवं समग्र अर्थव्यवस्था के चयन का आधार होगा।

6. स्वीकृति प्राधिकारी:

सम्बन्धित व्यक्त की स्वीकृति सचिव महिला एवं बाल विकास द्वारा दी जाएगी। स्वीकृत राशि निम्नलिखित बजट मद से आहरित की जाएगी-

2235-सांसाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

103-महिला कल्याण

(U)-महिला विकास कार्यक्रम

7. प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं :

(1) पुरस्कार हेतु आवेदन संलग्न प्रपत्र "अ" में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) संबंधित जिला कलेक्टर की अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को अप्रेषित किए जाएंगे।

8-संशयों का निराकरण:- उपर्युक्त नियमों की क्रियान्विति एवं क्षेत्र के सन्दर्भ में यदि कोई संशय उत्पन्न हो तो उसे सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को निदिष्ट किया जाएगा जिसका उत्तर पर विनिरवचन अन्तिम होगा।

प्रपत्र 'अ'

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महिला सशक्त पुरस्कार हेतु अनुशंसित आवेदक के संबंध में विवरण

1. (1) नाम
- (2) जन्म दिनांक
- (3) जन्म स्थान
- (4) शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं
- (5) डाक का पता एवं दूरभाष नम्बर
2. गतिविधि क्षेत्र
3. महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी गतिविधियों में कन से कार्यरत हैं।
4. कार्य स्वयं एवं उपलब्धियों के क्षेत्र सहित आवेदक के कार्य निष्पादन का विस्तृत विवरण एवं सामान्यतः महिलाओं की संख्या।
5. किस प्रकार आवेदक की उपलब्धियों को उत्कृष्ट माना गया।
6. यदि पूर्व में कोई पुरस्कार प्राप्त किए हों तो उसका विवरण।
7. आवेदक का संक्षिप्त जीवन विवरण।
8. जिला कलेक्टर की अनुशंसा।

[संख्या प. 19(6)मविका/96]

आदेश से,

मीनाक्षी हूडा,


विशिष्ट शासन सचिव,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मूद्रणालय, जयपुर।

Part II 1503
7/4/10

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 27, गुरुवार, शाके 1931—मार्च 18, 2010 Phalguna 27, Thursday, Saka 1931—March 18, 2010	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम।

महिला एवं बाल विकास विभाग
(निदेशालय महिला अधिकारिता)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 12, 2010

विषय:- महिला शक्ति पुरस्कार (संशोधन) नियम, 2009

जी.एस.आर.102:-राज्य सरकार महिला शक्ति पुरस्कार नियम, 1996, जो कि राजस्थान राज-पत्र विशेषांक के भाग 4(ग) उपखण्ड (I) दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित हुए हैं, में एतद्वारा संशोधन करते हुए निम्न नियम बनाती है:-

1. **शीर्षक एवं आरम्भ :-**(1) इन नियमों का नाम महिला शक्ति पुरस्कार (संशोधन) नियम, 2009 होगा।
(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृ होंगे।
2. **नियम 2 का संशोधन:-**उक्त नियम के उपनियम (3)(a) में रुपये 11,000/- के स्थान पर रुपये 51,000/- प्रतिस्थापित किया जाता है।
3. **नियम 5 का 2(A) संशोधन :-**उक्त नियम के उपनियम (2)(i) में दी गई चयन समिति के स्थान पर निम्न प्रकार से चयन समिति प्रतिस्थापित की जाती है :-

(अ) मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	- अध्यक्ष
(ब) प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग	-सदस्य
(स) प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	-सदस्य
(द) प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवायें	-सदस्य
(य) प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	-सदस्य
(र) प्रमुख शासन सचिव, प्राथमिक, माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा विभाग	-सदस्य

- (ल) महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत तीन प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं से एक-एक प्रतिनिधि(राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) -सदस्य
- (व) आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग -सदस्य सचिव

[संख्या एफ. 19(1)मशक्ति/07-08/5529]

आज्ञा से,

सरिता सिंह

आयुक्त एवं शासन सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राज. जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

प्रपत्र – "अ"

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महिला शक्ति पुरस्कार हेतु अनुशंसित आवेदक के संबंध में विवरण :-

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. जन्म स्थान
4. शैक्षणिक एवं अन्य योग्ताएं
-
-
5. डाक का पूर्ण पता एवं दूरभाष नम्बर
-
-
7. गतिविधि क्षेत्र :-
-
-
8. महिला सशक्तिकरण संबंधी गतिविधियों में कब से कार्यरत हैं।
-
9. कार्य स्थल एवं उपलब्धियों के क्षेत्र सहित आवेदक के कार्य निष्पादन का विस्तृत विवरण एवं लाभान्वित महिलाओं की संख्या :-

.....
.....
.....

10. किस प्रकार आवेदक की उपलब्धियों को उत्कृष्ट माना गया।

.....
.....

11. यदि पूर्व में कोई पुरस्कार प्राप्त किये हो तो उसका विवरण।

.....
.....

12. आवेदक का संक्षिप्त जीवन विवरण।

.....
.....
.....
.....
.....
.....

13. जिला कलेक्टर की अनुशंषा :-

.....
.....
.....

आवेदक के हस्ताक्षर